



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



-: आवश्यक सूचना :-

(विज्ञापन संख्या-05/2021)

विज्ञापन संख्या 05/2021 के तहत जिला संवर्गीय Auxiliary Nurse Midwifery (ANM) के 8853 पदों पर चयन हेतु दिनांक 21.07.2021 एवं विस्तारित तिथि 03.10.2021 तक अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किये गये तथा दिनांक 25 एवं 26 अक्टूबर '21 को अभ्यर्थियों का ऑनलाईन Computer Based Test (CBT) लिया गया। उक्त CBT में Qualified अभ्यर्थियों के प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट के अनुसार कुल विज्ञापित पदों के विरुद्ध 1:1.5 के अनुपात में Shortlisted अभ्यर्थियों का Document Verification/Counselling किया जाना है। उक्त Shortlisted अभ्यर्थियों की सूची को राज्य स्वास्थ्य समिति के वेबसाइट-statehealthsocietybihar.org पर अपलोड/प्रकाशित किया गया है। सभी Shortlisted अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण-पत्रों के सत्यापनोपरांत रिक्ति के अनुसार योग्य एवं सफल अभ्यर्थियों की अंतिम रूप से चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

2. Shortlisted अभ्यर्थियों के सभी मूल प्रमाण-पत्रों का Document Verification/Counselling के लिए तिथि/समय/स्थान निम्नलिखित सारणी के अनुसार निर्धारित किया गया है:-

तिथि	समय	Sl. No. (प्रकाशित सूची के अनुसार)	अभ्यर्थियों की संख्या	स्थान
24.03.2022 (गुरुवार)	10:00 AM-01:00 PM	001-350	350	राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW), शेखपुरा, पटना-14
	02:00 PM-05:00 PM	351-700	350	
25.03.2022 (शुक्रवार)	10:00 AM-01:00 PM	701-1050	350	
	02:00 PM-05:00 PM	1051-1400	350	
26.03.2022 (शनिवार)	10:00 AM-01:00 PM	1401-1750	350	
	02:00 PM-05:00 PM	1751-2100	350	
28.03.2022 (सोमवार)	10:00 AM-01:00 PM	2101-2450	350	
	02:00 PM-05:00 PM	2451-2800	350	
29.03.2022 (मंगलवार)	10:00 AM-01:00 PM	2801-3150	350	
	02:00 PM-05:00 PM	3151-3500	350	
30.03.2022 (बुधवार)	10:00 AM-01:00 PM	3501-3850	350	
	02:00 PM-05:00 PM	3851-4200	350	
31.03.2022 (गुरुवार)	10:00 AM-01:00 PM	4201-4550	350	
	02:00 PM-05:00 PM	4551-4900	350	
01.04.2022 (शुक्रवार)	10:00 AM-01:00 PM	4901-5250	350	
	02:00 PM-05:00 PM	5251-5600	350	
02.04.2022 (शनिवार)	10:00 AM-01:00 PM	5601-5950	350	
	02:00 PM-05:00 PM	5951-6300	350	
04.04.2022 (सोमवार)	10:00 AM-01:00 PM	6301-6650	350	
	02:00 PM-05:00 PM	6651-7000	350	
05.04.2022 (मंगलवार)	10:00 AM-01:00 PM	7001-7350	350	
	02:00 PM-05:00 PM	7351-7700	350	
06.04.2022 (बुधवार)	10:00 AM-01:00 PM	7701-8050	350	
	02:00 PM-05:00 PM	8051-8400	350	
07.04.2022 (गुरुवार)	10:00 AM-01:00 PM	8401-8750	350	
	02:00 PM-05:00 PM	8751-9100	350	
08.04.2022 (शुक्रवार)	10:00 AM-01:00 PM	9101-9450	350	
	02:00 PM-05:00 PM	9451-9800	350	
09.04.2022 (शनिवार)	10:00 AM-01:00 PM	9801-10150	350	
	02:00 PM-05:00 PM	10151-10500	350	
11.04.2022 (सोमवार)	10:00 AM-01:00 PM	10501-10850	350	
	02:00 PM-05:00 PM	10851-11200	350	

26/04/22

26/04/22



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



तिथि	समय	Sl. No. (प्रकाशित सूची के अनुसार)	अभ्यर्थियों की संख्या	स्थान
12.04.2022 (मंगलवार)	10:00 AM-01:00 PM	11201-11550	350	
	02:00 PM-05:00 PM	11551-11900	350	
13.04.2022 (बुधवार)	10:00 AM-01:00 PM	11901-12255	355	
	02:00 PM-05:00 PM	12256-12609	354	

- पहले चरण (Morning) में आनेवाले अभ्यर्थियों का Registration Time 09:30 AM एवं दूसरे चरण (Afternoon) में आने वाले अभ्यर्थियों का Registration Time 01:30 PM निर्धारित किया गया है।
- उक्त निर्धारित तिथि को यदि Counselling में अभ्यर्थी अनुपस्थित पाए जाते हैं तो प्रमाण-पत्र सत्यापन/काउन्सलिंग में अनुपस्थिति के लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगे।

3. Shortlisted अभ्यर्थी सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को ससमय नियत स्थान पर निम्नांकित प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति एवं उसका एक स्वअभिप्रमाणित (Self Attested) छायाप्रतियों के साथ अनिवार्य रूप से स्वयं उपस्थित होंगे:-

- CBT परीक्षा का प्रवेश-पत्र (Admit Card)
- दो (02) रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो।
- जन्मतिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र।
- Essential Qualification से संबंधित डिग्री एवं अंक प्रमाण-पत्र:-

	<u>Essential Qualification</u>
Auxiliary Nurse Midwifery (ANM)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diploma (2 years Full Time) in Auxiliary Nurse Midwifery (ANM) training Course from a from any recognized ANM Training institute. ▪ Registration of Candidates from "Bihar Nurses Registration Council" shall also be necessary.

- फोटोयुक्त पहचान-पत्र, यथा-Voter ID, AADHAR, PAN Card, Driving Licence इत्यादि।
 - आरक्षण का दावा करने संबंधित प्रमाण-पत्र। सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र तथा क्रिमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (पिता के नाम एवं पता से निर्गत)।
 - दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकार/Medical Board द्वारा निःशक्तता संबंधी प्रमाण-पत्र (अगर लागू हो)।
 - स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी के आरक्षण का दावा करनेवाले उम्मीदवारों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत प्रमाण-पत्र (अगर लागू हो)।
 - अन्य कोई प्रमाण-पत्र जो लागू हो।
4. आरक्षण का दावा करने संबंधित विशिष्ट दिशा-निर्देश निम्न प्रकार है:-
- आरक्षण का लाभ उन्ही उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात् जो बिहार के मूलवासी है। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
 - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण-पत्र एवं मूल निवास प्रमाण-पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है)।

राम

Rajsh



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



- (iii) पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की स्थिति में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राजस्व पदाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने माता पिता के नाम एवं स्थायी पता से निर्गत प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र) एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
- (iv) पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं होने संबंधी घोषणा-पत्र (विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र होने पर) का होना अनिवार्य है।
- (v) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित जिलाधिकारी/राजस्व पदाधिकारी/अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत आय एवं परिसंम्पति प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।
- (vi) अनुसूचित जाति/जनजाति के मामले में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राजस्व पदाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण-पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण-पत्र अनिवार्य होगा, अन्यथा आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- (vii) दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकार/Medical Board द्वारा निःशक्तता संबंधी प्रमाण-पत्र (अनिवार्य होगा)।
- (viii) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी के आरक्षण का दावा करनेवाले उम्मीदवारों के लिए जिलापदाधिकारी या उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत प्रमाण-पत्र (अनिवार्य होगा)।

5. उक्त पद हेतु सभी कोटि के अभ्यर्थियों का one time अधिकतम उम्र का Cut-off date 01.01.2013 तथा कार्यानुभव एवं शैक्षणिक योग्यता आदि के लिए Cut-off date 01.06.2021 होगी।

6. अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि Document Verification/Counselling से संबंधित अद्यतन जानकारी समिति के अधिकृत वेबसाइट-statehealthsocietybihar.org पर प्राप्त कर सकते हैं। उक्त वेबसाइट निरन्तर देखना अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी है। Shortlisted अभ्यर्थियों को इसकी सूचना SMS/E-mail के माध्यम से दी गयी है। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो उसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना जिम्मेदार नहीं होगी।

15/11/21


(राजेश कुमार)

उप सचिव-सह-

प्रभारी, मानव संसाधन

कोई भी व्यक्ति चाहे वह सरकारी अथवा गैर-सरकारी वाह्य व्यक्ति हो, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार में नौकरी दिलाने के नाम पर आपसे सम्पर्क स्थापित कर ठगी करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे तत्वों के संबंध में अविलंब राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार कार्यालय को सूचित करें। ऐसे किसी तत्वों से संलिप्तता पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।